

25.11.19 पत्रावली पेश हुई / क्वील उभयपक्ष उपर  
रूपे. कमला कौरा द्वारा पेश प्रा. पत्र पर  
गौर किया / प्रा. पत्र के साथ पेश निर्णय  
दि. 9.9.19 की फौजदारी का अवलोकन  
किया तो धारा 13 प्रकृत से संबंधित  
मूल वाद सं. 264/2008 निर्णय दि. 9.9.19  
द्वारा नए न्यायालय द्वारा निर्णय किया  
जा चुका है /

प्रस्तुत अपील नए न्यायालय द्वारा धारा  
212 R.T. एक्ट के प्रा. पत्र में जारी निर्णय  
के खिलाफ है /


जब नए न्यायालय द्वारा मूल वाद ही  
निर्णय किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति  
में अर्थात् निषेधाज्ञा की मह अपील  
इ-फैचर्स हो चुकी है /

अतः प्रस्तुत अपील प्रभावहीन

होने के कारण खारिज की जाती है।

पगावली फैसल सुमाद होडर नम्बर से

कम हो। दाखिल दफ्तर हो



मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर